


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

देव दुर्वर विपक्षी आगवली प्रसाद
 म मुकदमा ११६ पत्रावली संख्या ६९/१५ सन्

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>24/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 26/8/25 को पेश हो।</p> <p>26/08/25 पत्रावली पेश हुई। आ.ए. उ.सं. 2 का पत्रावली उप. 1 आ.पस जवाब दावा रिकॉर्ड पर लिखे जाने पर लक्ष्मण कुली गर्द। न्यायालय का निष्पत्त आश्रित है कि उ.सं. 2 को जवाब समय पर पेश करना चाहिए था, परन्तु वर्तमान में उ.सं. 2 द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। यदि उ.सं. 2 का जवाब रिकॉर्ड पर लक्ष्मण कुली लिखा जाना है तो उ.सं. 2 के एक अधिकारी पर आश्रित कुली सुनाव पड़ेगा, दूसरे में आ.पस जवाब दावा रिकॉर्ड पर लिखे जाने का स्वीकार किया जाकर उ.सं. 2 का जवाब रिकॉर्ड पर लिखा जाना है। उक्त में तनकियात एवं में कायम की जा चुकी है परन्तु उ.सं. 2 के जवाब दावे के आधार पर तनकी गठप आभा उ.सं. 2 के पक्ष में उनकी माता द्वारा पेशीकृत एक आश्रित पक्ष से अपना दिवसा एक आश्रित करने से वादी पक्ष वादग्रस्त न्याय में जोषण कराने का अधिकारी नहीं है। निम्न में उपस्थित स्वरुपा-</p>	

जो डा. जाना आवश्यक की अल: 34 रुक
अनुसार लनकी 704 जोडे जाने
के आदेश दिए जाते थे पत्रावली
वास्तव साक्ष्यवादी दिनांक 06/10/25
को पेश है।

6/10/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान रूप।
अनुपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अदालत/
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 17/11/25 को पेश हो।

17/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान
अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँचें 5:00 PM हो चुके
हैं। उभय पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीयों मय उभय
वादीया एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या। मय उभय
प्रतिवादी संख्या। अनुपस्थित रहने पर वादीयों का
वाद एवं प्रतिवादी संख्या। का प्रतिवाद अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली